

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-





श्री जयसिंह गांव लौटोती, तहसील जैतारण
जिला पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 69 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00156

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
8/7/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 19/7/19 को पेश हो।</p>  <p>जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>942-43 10.7.19</p>
19/7/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण से याचना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पुनः सार्वजनिक लिखित आकर पत्रावली दिनांक 26/7/19 को पेश हो।</p>  <p>जिला कलेक्टर, पाली</p>	
26/7/19	<p>लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण से याचना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पुनः पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 7/8/19 को पेश हो।</p>  <p>जिला कलेक्टर, पाली</p>	
7/8/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांत द्वारा यह अपील नं. 69/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत का संबंधित प्रश्न उपलब्ध कराते हेतु निर्देशित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा लिखित जवाब आरंभ पत्रावली नं. 2019/3647-दि. 24-7-19 के अन्तर्गत कराया कि संबंधित सूचना आरंभ पत्रावली नं. 2019/3312 दिनांक 28-6-2019 द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी है। अपील का संबंधित सूचना उपलब्ध करा देने से इस अपील में कार्यवाही अंतर्गत नहीं रह जाये से अपील अपीलांत रेखांकित की जाती है।</p> <p>पत्रावली आकर फौजदारी की जाकर न्यायालय में पेश हो।</p>  <p>जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>1315 28/8/19</p>